



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, पो.बैंग नं. 104, जयपुर - 302 015.

National Bank for Agriculture and Rural Development

3, Nehru Place, Tonk Road, P.B No. 104, Jaipur- 302 015 Tel (0141) 2742962.

2743225, 2743212, 2743416 FAX नं (0141) 2742161 e-mail : jaipur@nabard.org

संदर्भ सं राबै.जय / 2623 / एन एफ एस -18 (231)/ 2010-11
दिनांक 02 अगस्त 2010

The Secretary
Hahnemann Charitable Mission Society
301, Mahavir Nagar-II
Maharani Farm, Durgapura,
Jaipur

प्रिय महोदय,

जयपुर जिले में ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव

वृत्त्या उपरोक्त विषयक आपके द्वारा भेजे गये जयपुर जिले में 2 आरईडीपी आयोजित करने के प्रस्ताव का संदर्भ है।
इन संबंध में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि हम साथ में दिये एनेक्सर के अनुसार जयपुर जिले के चाक्रसू गांव में "नर्मरी
मैनेजमेन्ट" पर 30 प्रतिभागियों के लिए 04 सप्ताह का एक व्यवसाय परक उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित
के लिए Hahnemann Charitable Mission Society (जिसे आगे एजेन्सी कहा गया है) को अनुदान सहायता
देने के लिए सहमत हैं। इस कार्यक्रम के लिये दी जाने वाली अनुदान सहायता दो भागों में विभक्त होगी।

(क) अनुदान का पहला भाग कार्यक्रम के आयोजन हेतु जारी किया जाएगा। यह राशि अधिकतम रु. 94,500/- (नव
चौरानवे हजार पांच सौ मात्र) होगी जो कि कार्यक्रम हेतु एनेक्सर में दिए गए विवरण के अनुसार होगी।

(ख) अनुदान का दूसरा भाग प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा जिससे एजेन्सी को प्रतिभागियों को मार्गदर्शी सहायता
देने में मदद मिलेगी। यह राशि प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नई इकाइयाँ स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए
ऋण की मात्रा पर निर्भर करेगी। इसका निर्धारण नीचे दी गई दर पर किया जाएगा :

बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (रु)	प्रति सहभागी प्रोत्साहन राशि (रु)	प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा (रु)
रु.25000 तक	2,000	50,000
रु.25001 से रु. 2 लाख	2,500	62,500
रु. 2 लाख से अधिक	3,000	75,000

इसके अतिरिक्त स्वयं के स्रोत से स्थापित इकाइयों के लिये, जहां प्लांट व मशीनरी में निवेश रुपये 10,000/- से
अधिक हो रुपये 5000/- प्रति इकाई की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का दावा बैंक प्रणाली
अथवा स्वयं के स्रोत से स्थापित इकाइयों में प्लांट व मशीनरी की खरीद से सम्बंधित बिल आदि प्रस्तुत करने पर ही मान्य
होगा।

वह मंजूरी इस पत्र में आगे वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

Re. 3.
H.R.
Hahnemann Charitable Mission Society

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
जयपुर

विषय-10 SHGs को प्रियदर्शिनी आदर्श SHG के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया
आरंभ करने के संदर्भ में।

जैसा कि आपको विदित है राज्य सरकार की बजट घोषणा 09-10 के क्रम में विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में 10 SHGs को आदर्श SHG के रूप में विकसित किया जाना है। इस हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित संस्था ~~हेनिमैन चोरिटेबल~~ ~~मिशन (बो लोसरी जयपुर)~~ द्वारा आपके जिले के चिन्हित 10 SHGs को प्रियदर्शिनी आदर्श SHG के रूप में विकसित किए जाने हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं-

- 1/ दिनांक 31.3.10 को उक्त संस्था के साथ PO/संबंधित ब्लॉक के CDPO/प्रचेता एवं चिन्हित SHGs से संबंधित साथियों के साथ बैठक आयोजित कर योजना की जानकारी विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों को दी जाएगी ताकि संस्था व फील्ड स्टाफ के बीच में प्रभावी समन्वय हो सके।
- 2/ दिनांक अप्रैल, 10 में बीच जिले में चिन्हित 10 SHGs की उक्त संस्था द्वारा आमुखीकरण एवं प्रबंधकीय क्षमता वर्द्धन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 3/ दिनांक मई, 10 के बीच जिले में चिन्हित इन 10 SHGs के लिए उक्त संस्था द्वारा उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।
- 4/ संस्था द्वारा माह अप्रैल 10 तक इन SHGs को मार्केट लिंकेज संबंधित प्रशिक्षण आयोजित कर मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5/ माह जुलाई, 10 तक इन समूहों को संस्था द्वारा क्लस्टर के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- 6/ माह सितंबर, 10 तक संस्था द्वारा इन समूहों के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह न्यूनतम 1100 रु आय अर्जन की स्थिति तक लाया जाएगा।

अतः दिनांक 19.2.10 को बैठक आयोजित करावे एवं उक्त NGO को आवश्यक सहयोग व सूचनाएँ उपलब्ध करावें ताकि राज्य सरकार की बजट घोषणा की समयबद्ध क्रियाचिन्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही उक्त योजनांतर्गत अपने जिले में समय-समय पर होने वाली गतिविधियों की नियमित मोनिटरिंग कर प्रगति रिपोर्ट विभाग को भिजवावे।

कार्यकारी निदेशक, WSHGI एवं पदेन अति.
निदेशक (स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम)
मंबावि. राज., जयपुर

जयपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 13()/WE/आदर्श SHG/ 09-10/

प्रतिलिपि-संबंधित संस्था ~~हेनिमैन चोरिटेबल~~ ~~मिशन~~ ~~लोसरी जयपुर~~

R.O., SHG



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, पो.बैंग नं. 104, जयपुर - 302 015.

National Bank for Agriculture and Rural Development

3, Nehru Place, Tonk Road, P B No. 104, Jaipur- 302 015 Tel: (0141) 2742962

2743226, 2743212, 27434161 FAX नं (0141) 2742161 e-mail: jaipur@nabard.org

संज्ञा सं संवै.जय / 2622 / एन एफ एस -18 (232)/ 2010-11

दिनांक 02 अगस्त 2010

The Secretary

Hahnemann Charitable Mission Society

301, Mahavir Nagar-II

Maharani Farm, Durgapura,

Jaipur

प्रिय महोदय,

जयपुर जिले में ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा भेजे गये जयपुर जिले में एक आईडीपी आयोजित करने के प्रस्ताव का मद्देन ले। इस संबंध में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि हम साथ में दिये एनेक्सर के अनुसार जयपुर जिले के आंबेर गांव में "नर्ममि सैनेजिमेंट" पर 30 प्रतिभागियों के लिए 04 सप्ताह का एक व्यवसाय पर्यक उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए Hahnemann Charitable Mission Society (जिसे आगे एंजेसी कहा गया है) को अनुदान सहायता देने के लिए सहमत हैं। इस कार्यक्रम के लिये दी जाने वाली अनुदान सहायता दो भागों में विभक्त होगी।

(क) अनुदान का पहला भाग कार्यक्रम के आयोजन हेतु जारी किया जाएगा। यह राशि अधिकतम ₹. 94,500/- (नूण्ये चीरानवे हजार पांच सौ मात्र) होगी जो कि कार्यक्रम हेतु एनेक्सर में दिए गए विवरण के अनुसार होगी।

(ख) अनुदान का दूसरा भाग प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा जिससे एंजेसी को प्रतिभागियों को मार्गदर्शी संस्थाएं देने में मदद मिलेगी। यह राशि प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नई इकाइयाँ स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण की मात्रा पर निर्भर करेगी। इसका निर्धारण नीचे दी गई दर पर किया जाएगा :

बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (₹)	प्रति सहभागी प्रोत्साहन राशि (₹)	प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा (₹)
₹.25000 तक	2,000	50,000
₹.25001 से ₹. 2 लाख	2,500	62,500
₹. 2 लाख से अधिक	3,000	75,000

इसके अतिरिक्त स्वयं के स्रोत से स्थापित इकाइयों के लिये, जहां प्लांट व मशीनरी में निवेश रुपये 10,000/- व अधिक हो रुपये 500/- प्रति इकाई की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का दावा बैंक ऋण अथवा स्वयं के स्रोत से स्थापित इकाइयों में प्लांट व मशीनरी की खरीद से सम्बंधित बिल आदि प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।

यह मंजूरी इस पत्र में आगे चर्चित शर्तों के अधीन होगी।



राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
एवं सदस्य सचिव (एन.आर.एच.एम.)
जिला स्वास्थ्य समिति, भरतपुर
फोन नं 05644-224555

क्रमांक : एनआरएचएम/आशा प्रशि./तृतीय चरण/2009-2010/052

दिनांक : 8/2/2010

वित्तीय स्वीकृति आदेश

आशा सहयोगिनी प्रशिक्षण तृतीय चरण हेतु निम्न खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बैच की संख्या के आधार पर राशि एनआरएचएम फ्लेक्सिपुल से व्यय करने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, राशि के व्यय की बुकिंग "आशा चयन एवं प्रशिक्षण मद" में की जावे।

क्र० सं०	खण्ड कार्यालय का नाम	व्ययनित स्वयंसेवी संस्था का नाम	कार्यरत आशा सहयोगिनी	बैच संख्या	कुल स्वीकृत राशि
1	कुम्हेर	राजस्थान लव कुश संगीत कला केन्द्र संस्थान, कुम्हेर (भरतपुर)	156	4	261885.00
2	बयाना	प्रेरणा सोनीपत, हरियाणा	181	4	303853.75
3	नदबई	केवलादेव रिसर्च फाउण्डेशन, भरतपुर	146	3	245097.50
4	कामां	सृजन संस्थान, भरतपुर	128	3	214880.00
5	डीग	सहयोग, भरतपुर	120	3	201450.00
6	रूपवास	दिशा फाउण्डेशन, भरतपुर	179	4	300496.25
7	सेवर	हैनीगन चैरिटेबल मिशन सोसायटी, जयपुर	158	4	265242.50
8	नगर	कमला शिक्षा समिति, अलवर	166	4	278672.50
9	भुसावर	डे टू डे डवलपमेंट सोसायटी, अलवर	181	4	303853.75

राशि के उपयोग उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण अविलम्ब जिला स्तर पर भिजवाया जावे ताकि मार्च 2010 के व्यय विवरण में उसे सम्मिलित किया जा सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भरतपुर

दिनांक :

क्रमांक : एनआरएचएम/आशा प्रशि./तृतीय चरण/2009-2010/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड कुम्हेर/बयाना/नदबई/कामां/डीग/रूपवास/सेवर/नगर/भुसावर
2. लेखा शाखा (एनआरएचएम), कार्यालय हाजा।
2. आदेश प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भरतपुर

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर - 302015

टेली : +91 141 2741633 • फैक्स +91 141 2742161

ई-मेल : jaipur@nabard.org • वेबसाइट : www.nabard.org



नाबार्ड

National Bank for Agriculture and Rural Development

Rajasthan Regional Office

3, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015

Tel.: +91 141 2741633 • Fax : +91 141 2742161

E-mail : jaipur@nabard.org • Website : www.nabard.org

Ref. No. NB.(Raj) Jaipur 2187 / DPD-ES / FTTF-3 / 2014-15

Dated : 14 Aug 2014

To,

Secretary,

Hahnemann Charitable Mission Society

J-890, Phase -II Sita pura Industrial Area ,

Tonk Road, Jaipur 302022


Dear Sir,

Proposal for 2 Training programme for 30 Farmers on Nursery Management & Land scaping Skill Dev. for 6 days under FTTF

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 20.05.2014 को भेजे गए पत्र का संदर्भ ले जिसमें 30 किसानों को 6 दिवसीय 2 Trainings (Nursery Management & Land scaping Skill Dev) स्क्रीन की है उक्त कार्यक्रम पर होने वाली खर्च का कुल राशि रु 1,02,000/- (One Lakh Two Thousand only) स्क्रीन की गयी है जिसका मूलांक द्वारा नीचे दिया गया है। कृपया उपरोक्त राशि प्रस्तावित अनुसूची के अनुसार बैंक के माध्यम से प्रेषित की जाय। प्रस्तावित राशि से खर्च कार्य को सही तरीके से करवा करवाया जाये।

Sr. No.	Item of expenditure	Amount Recommended per batch (Rs)	Remarks
1	Trust building and entry point activities. (Propoganda Rs.1000/-, Survey & identification Rs.6000/- & Registration Rs.2000/-)	2000	Registration charges allowed
2	Inauguration function	5000	
3	Training Kit @ Rs.245 per kit for 30 participants	6000	@ Rs.100/- per participants
4	Honorarium @ Rs.1000/- for 30 visits	6000	Allowed for 06 visits only
5	Travel expenses of trainees farmers	4650	
6	Rent for venue @ Rs.350 per day	2100	Rent for 06 days
7	Tent Sitting arrangement 800/- per day	4800	Rent for 06 day
8	Electricity charges @ Rs.300/- per day		
9	Raw material	5000	
10	Audio visual training gadgets etc		
11	Helper one @ Rs.180/per day	1080	For 06 days
12	Refreshment @ Rs.15/- per trainee	2700	30 trainees
13	Transportation of Experts and other Person	2000	
14	AV Equipments Training gadgets etc	5000	
15	Follow up expenses		
16	Administrative expenses @ 10%	4670	@ 10% of total cost
Total for one training		51000	

कृपया ध्यान रहे कि उक्त कार्यक्रम पश्चात् सकारात्मक प्रभाव रिपोर्ट न मिलाने की स्थिति में यह सम्भव है कि प्रतिष्ठा में आसक्ति द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के प्रस्ताव पर ध्यान न दिया जाय।

भवदीय

 (आर.एस.कोछोर)
 प्रबंधक
 अनुसंगलक :- 01



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

3, नेहरू प्लेस, टॉक रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 104, जयपुर-302015, फोन नं. (0141) 2743215,
2741633, 2743290 फैक्स नं. (0141) 2742161

क्रमांक : राबैं/राक्षेका/जयपुर/किसान क्लब/ 6319 /N- /2013-14

दिनांक 13 March 2014

Regd. Post H/D

सचिव

हेनीमेन चेरीटबल मिशन सोसायटी
जे-890, फेस-II, सीतापुर इंड्रस्टीयल एरिया
टोक रोड
जयपुर-302022

किसान क्लबों के रखरखाव राशि जमा कराने बाबत

हम इस पत्र के साथ आपके द्वारा संचालित 14 किसान क्लबों की रखरखाव राशि RSCB, Jaipur पर आहरित डी.डी. के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि किसान क्लबों की रखरखाव राशि जिनके खाते Mini Banks की शाखाओं में खोले गये हैं नीचे दिये विवरण अनुसार संबंधित किसान क्लबों के खातों में जमा कर हमें सूचित करें।

DD No. 108685 dt.07.03.14 of Rs.12000/- for Mini Bank Chandlai			
क्रम स:	किसान क्लब का नाम	राशि	F C code
1	Pathan KC, Ajam nagar	2000	7624
2	Shri Krishan Kisan Club	2000	7644
3	Shiv Sahnkar KC, Kutakpura	2000	7642
4	Kanhaiya KC, Dugpalpura	2000	7641
5	Shri Kalyan KC, Kalyanpura	2000	7638
6	Adarsh KC, Narhripura	2000	7623
DD No. 108686 dt.07.03.14 of Rs.6000/- for Mini Bank Shivdaspora			
1	Shri Krishan KC, Simalya	2000	7640
2	Govardhan Kisan Club	2000	7637
3	Hanuman KC, Naharia Ka Bas	2000	7646
DD No. 108687 dt.07.03.14 of Rs.6000/- for Mini Bank Padarapura			
1	Shri Bajrang Kisan Club	2000	7622
2	Jai Jagdish Kisan Club	2000	7639
3	Shri Ram Kisan Club	2000	7643
DD of 02 Fcs (DD No. 108689 & 108688)			7621
1	Shri Ganesh Kisan Club Titariya	2000	
2	Balaji Kisan Club Bajdoli	2000	7625

(एन के सोनी)

सहायक प्रबंधक

अनुसंगक:-05 डी.डी.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम

जिला स्वास्थ्य समिति(एनसीडी/एटीसी), जिला तम्बाकू नियंत्रण सैल .

मिनी स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर(फोन नं० 2605858)

क्रमांक टो0क0/10/127

दिनांक : 8-2-10

सेक्टर हैंगीमेन चेरीटैबल मिशन सोसायटी
300 मलवीर नगर, द्वितीय, महारानी फार्म,
जयपुर

विषय :- "टोबेको फ्री स्कूल" कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में कार्यशाला/अन्य
कार्य सम्पादित/आयोजित कराने के सम्बन्ध में कार्यदेश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 3/2/10 में प्रस्तुत दरे (6000/- रु प्रति स्कूल कार्यक्रम की दर से) अनुमोदित की जाती है। आपकी संस्था को इस कार्यालय द्वारा चिनिता किये गये 25 स्कूलों (सूची संलग्न) में संलग्न गाईड लाईन के अनुसार "टोबेको फ्री स्कूल" कार्यशाला विषय /संलग्न के तहत किन्ही 20 स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु कार्यदेश जारी किया जाता है।

कार्यक्रम/कार्यशाला संलग्न गाईड लाईन अनुसार आयोजित कर समस्त वाउचरों एवं प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराकर मश फोटोज एवं न्यूज कवरेज की तारीख के साथ तदनुसृत जिला स्वास्थ्य समिति (टोबेको कंट्रोल/एनसीडी) के पक्ष में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

- 1 स्कूलों की सूची
- 2 गाईड लाईन

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम
एवं जिला नोडल अधिकारी (टोबेको कंट्रोल)

दिनांक एनसीडी/एटीसी/10/

दिनांक :

कार्यदेश निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला निदेशक (चि प्रशा) एवं स्टेट नोडल अधिकारी (एनसीडी/एटीसी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय सज0 जयपुर के पत्रांक एन.सी.डी. टो.क./09/284 दिनांक 16/12/09 के क्रम में प्रेषित प्रसारी लेखा शाखा, जिला स्वास्थ्य समिति (एनसीडी/एटीसी), मुख्यालय जयपुर।
2. कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम
एवं जिला नोडल अधिकारी (टोबेको कंट्रोल)



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

3, नेहरु प्लेस, टॉक रोड, पो.बैंग नं. 104, जयपुर - 302 015.

National Bank for Agriculture and Rural Development

3, Nehru Place, Tonk Road, P.B.No. 104, Jaipur- 302 015 Tel: (0141) 2742962,
2743225, 2743212, 2743416 FAX नं (0141) 2742161 e-mail : jaipur@nabard.org

संदर्भ सं राबैं.जय/5898 / एन एफ एस -18 (206)/ 2008-09
दिनांक 21 दिसम्बर 2009

The Secretary
Hahnemann Charitable Mission Society
301, Mahavir Nagar-II
Maharani Farm, Durgapura,
Jaipur

प्रिय महोदय,

जयपुर जिले में ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा भेजे गये जयपुर जिले में एक आरईडीपी आयोजित करने के प्रस्ताव का संदर्भ ले। इस संबंध में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि हम साथ में दिये एनेक्सर के अनुसार जयपुर जिले के लालपुरा गांव में "नर्सरी मैनेजमेन्ट" पर 30 प्रतिभागियों के लिए 04 सप्ताह का एक व्यवसाय परक उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए Hahnemann Charitable Mission Society (जिसे आगे एजेन्सी कहा गया है) को अनुदान सहायता देने के लिए सहमत हैं। इस कार्यक्रम के लिये दी जाने वाली अनुदान सहायता दो भागों में विभक्त होगी।

(क) अनुदान का पहला भाग कार्यक्रम के आयोजन हेतु जारी किया जाएगा। यह राशि अधिकतम रु. 96,720/- (रुपये छियानव हजार सात सौ बीस मात्र) होगी जो कि कार्यक्रम हेतु एनेक्सर में दिए गए विवरण के अनुसार होगी।

(ख) अनुदान का दूसरा भाग प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा जिससे एजेन्सी को प्रतिभागियों को मार्गदर्शी सेवाएं देने में मदद मिलेगी। यह राशि प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नई इकाइयां स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण की मात्रा पर निर्भर करेगी। इसका निर्धारण नीचे दी गई दर पर किया जाएगा :

बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि (रु)	प्रति सहभागी प्रोत्साहन राशि (रु)	प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा (रु)
रु.25000 तक	2,000.	50,000
रु.25001 से रु. 2 लाख	2,500	62,500
रु. 2 लाख से अधिक	3,000	75,000

इसके अतिरिक्त स्वयं के स्रोत से स्थापित इकाइयों के लिये, जहां प्लांट व मशीनरी में निवेश रुपये 10,000/- व अधिक हों रुपये 500/- प्रति इकाई की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का दावा बैंक ऋण अथवा स्वयं के स्रोत से स्थापित इकाइयों में प्लांट व मशीनरी की खरीद से सम्बंधित बिल आदि प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।


यह मंजूरी इस पत्र में आगे वर्णित शर्तों के अधीन होगी।

नियम व शर्तें

- I. इस कार्यक्रम के संचालन के लिये आपको कार्यक्रम मोनीटरिंग कमेटी (PMIC) का गठन करना होगा, जिसमें नाबार्ड का प्रतिनिधित्व नाबार्ड, एनएफएस विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर करेंगे। अतः आप कार्यक्रम मोनीटरिंग कमेटी (PMIC) के गठन के लिये हमारे एनएफएस विभाग के अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से संपर्क करें तथा इस कार्यक्रम के कियान्वयन में उन्हें सम्मिलित करें।
- II. कार्यक्रम की तिथि, एवं अन्य विवरण, नाबार्ड से परामर्श कर निर्धारित करें। आप यह नोट करें कि कार्यक्रम, स्वीकृति पत्र की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर प्रारंभ कर दिया जाए। ऐसा न होने पर कार्यक्रम की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी।
- III. नाबार्ड एक या अधिक अधिकारियों को इस कार्यक्रम की प्रगति के सत्यापन, उसमें सुझाव देने एवं अगर आवश्यक हो तो कार्यक्रम के दृष्टिकोण कार्यप्रणाली / विषय वस्तु एवं उद्देश्य में सुधार करने हेतु प्रतिनियुक्त कर सकता है, जिसे एजेंसी द्वारा, परस्पर सहमति के अनुसार स्वीकार एवं लागू किया जाएगा।
- IV. हम यह सूचित करते हैं कि गैर कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अपनाये जा रहे प्रयोगों के अंग के रूप में यह सहायता मंजूर की जा रही है। क्योंकि इन प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणाम हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं अतः हम चाहेंगे कि प्रशिक्षण (जो कम से कम 04 सप्ताह का हो तथा इसमें उद्यमशीलता विकास जैसे ऐचीवमेंट मोटिवेशन, उत्पादों का विपणन, यूनिट का प्रबंधन, वित्तीय खातों का रखरखाव आदि पर भी इनपुट दिया जाए), के बाद उद्यमियों के मामले में अनुवर्ती कार्रवाई और गहनतम अनुप्रवर्तन पर जोर दिया जाए। एजेंसी प्रशिक्षण के पश्चात लगभग 24 माह तक प्रभावी सहायक मार्गदर्शी सेवाएँ (एस्कॉर्ट सर्विस) / अनुवर्ती सेवा प्रदान करेगी जिससे इकाइयों की वास्तविक स्थापना, रोजगार के अवसर पैदा करना व आवश्यक मार्केटिंग सहायता के रूप में सफलता की उच्चदर को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए हम इस पत्र के साथ प्रपत्र ए-I, ए-II, ए-III व ए-IV (I to 4) संलग्न कर रहे हैं। एजेंसी हमें अनुप्रवर्तन की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में उसमें उल्लेखित आवश्यकता के अनुसार, बिना शर्त प्रेषित करने का स्पष्ट आश्वासन दें। इस संबंध में यह सूचित करना आवश्यक है कि यदि निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से यह जानकारी प्रेषित नहीं की जाती है तो नाबार्ड अनुदान रोक देने को बाध्य होगा तथा भविष्य में अन्य कार्यक्रम स्वीकृत करने से पहले इस पर विचार करेगा।
- V. अनुदान की राशि का भुगतान अनुलग्नक I में अंकित अधिसूची के अनुसार, अनुप्रवर्तन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात ही किया जायेगा।
- VI. यदि यह राशि उस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है जिसके लिए स्वीकृत की गई है तो नाबार्ड को अनुदान की राशि वापस मंगाने का हक है।
- VII. एजेंसी को हमें रिपोर्ट ए-1, के साथ "प्रतिदिन की कार्यक्रम -पत्रिका" प्रस्तुत करने पर नाबार्ड से अनुदान राशि की पहली किश्त जारी की जाएगी। नाबार्ड से अनुदान राशि की पहली किश्त मिलाने की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यक्रम की शुरुआत करनी होगी। अगर कार्यक्रम की शुरुआत अनुदान राशि की पहली किश्त मिलाने की तिथि से 15 दिन के अंदर नहीं हुई तो एजेंसी को अनुदान की राशि नाबार्ड को तत्काल वापस करनी होगी।
- VIII. एजेंसी को हमें रिपोर्ट ए-2 के साथ प्रतिभागियों की सूची एवं उन्हें दी हुई प्रशिक्षण सामग्री (Handout Kit) की प्रति भेजनी होगी।
- IX. एजेंसी द्वारा, अनुदान राशि का उपयोग अनन्य रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु मद वार स्वीकृति अनुसार ही किया जायेगा एवं द्वितीय व अंतिम किश्त जारी करने के अनुरोध के समय उस समय तक हुए खर्चों के बिलों की प्रति संलग्न भी करनी होगी।
- X. एजेंसी कार्यक्रम को सभी पहलुओं में आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होगी तथा इस हेतु आवश्यक भौतिक सुविधाएँ तथा संकाय सुविधा प्रदान करेगी।

- XI. यह कार्यक्रम जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए है। तथा कार्यक्रम का स्थल जयपुर में होगा एवं कार्यक्रम का स्थल बदलने संबंधी संस्था का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- XII. कार्यक्रम हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अनु, जाति / जनजाति / महिलाओं / गरीबी रेखा से नीचे वालों का प्राथमिकता दी जाए। प्रतिभागियों के चयन हेतु समाचार पत्रों / पत्रों द्वारा समुचित विज्ञापन दिये जाएंगे। प्रतिभागियों से प्रतिभागिता शुल्क न वसूल किया जाये। प्रतिभागिता शुल्क वसूले जाने पर हमारी अनुदान सहायता में तदनुकूल कटौती की जाएगी।
- XIII. कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर ही प्रशिक्षित उद्यमियों को बैंक ऋण उपलब्ध करवाने का आश्वासन, संबंधित अग्रणी बैंक तथा अन्य बैंकों से प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम की अपेक्षित दर पर सफलता सुनिश्चित करने के लिए, ऐजेंसी यह प्रयास करे कि कार्यक्रम के आयोजन में आरंभ से ही स्थानीय बैंक / बैंकों तथा नाबार्ड को सम्मिलित किया जाए।
- XIV. ऐजेंसी से अपेक्षित है कि वह कार्यक्रम में सहायता प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में समुचित रिकार्ड रखेगी, साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों तथा उनकी सस्टेनेबिलिटी का रिकार्ड भी उनकी स्थापना से न्यूनतम दो वर्ष तक रखेगी तथा आवश्यकता होने पर हमें भी प्रेषित करेगी।
- XV. प्रतिभागियों के बीच में कार्यक्रम को छोड़ देने की स्थिति में अनुदान राशि में प्रति प्रतिभागी ग्राइपेण्ड, ट्रांसिंग एवं बोर्डिंग, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट तथा टेकनीकल ट्रेनिंग की Variable cost में समानुपातिक कटौती की जाएगी।
- XVI. आप इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए अल्पसंख्यक समुदाय (मुरिलम, क्रिश्चियन, सिक्ख, जोरोस्ट्रियन्स और बौद्ध) के प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में जानकारी रखें एवं उसे नाबार्ड को दूसरी किश्त के दावे के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
- XVII. कृपया यह भी नोट करें कि प्रथम किश्त के जारी करने के पहले आप प्रशिक्षकों (trainers) का चयन कर लेंगे तथा यह जानकारी एवं हमें प्रशिक्षकों के विवरण के साथ प्रेषित कर देंगे।
- XVIII. ऐजेंसी यह सुनिश्चित करें की सभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बैंक में खाता खोला गया है और हमें बैंक का नाम एवं खाता संख्या आदी की जानकारी प्रेषित करें।
- XIX. इन शर्तों को स्वीकार करने के आशय में, इस पत्र की दूसरी प्रति और अनुबन्धों पर कार्यालयीन मोहर सहित, अपने हस्ताक्षर कर हमें प्रेषित कर दें।


भवदीय



(के. के. बागुल)

सहायक महाप्रबंधक

संलग्न : यथोक्त



Entrepreneurship & Management Development

(An Enterprise of the Government of Rajasthan)
J-8A, Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
Tel : 91-0141-2705541, 2705542
e-mail : emi_jaipur@yahoo.com

Tele Fax : 0141-
Website : www.e

EMI/RMoL/07-08/TA50/ 11699

Date: 08/10/2007

Hahnemann Charitable Society,
C-29, Pankaj Singhvi Marg,
Lal Kothi,
Jaipur

Sub: Skill training programme.

Dear Sirs,

Kindly refer to our letter of even no dated 18th Aug 07, conveying 'in principle' approval for conducting a skill development programme as follows.

Name of training programme	Nursery Management
Duration	30 days, residential
Estimated cost	Rs 78,290


An advance of Rs 46,974 representing 60% of the estimated cost was sent to you on 09.08.07, which has been duly acknowledged.

We are yet to be intimated

- (i) Date of starting the programme
- (ii) List of candidates
- (iii) Training fee collected

You are requested to finalise the candidates after necessary advertisement and intimate the likely date of starting the Training programme. You are further requested to send the reply by 15th Oct.

Yours sincerely,


VD Narang
Consultant

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर - 302015
टेली: +91 141 2741633 • फैक्स: +91 141 2742161
ई-मेल: jaipur@nabard.org • वेबसाइट: www.nabard.org



National Bank for Agriculture and Rural Development
Rajasthan Regional Office
3, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015
Tel.: +91 141 2741633 • Fax: +91 141 2742161
E-mail: jaipur@nabard.org • Website: www.nabard.org

रा.वै.राक्षेका.जय/एमसीआईडी/एसएचजी-441/स्वाधारिणी/

3940

/2013-14

02.12.2013

सीईओ/ सचिव
हनेमान चेरिटेबल मिशन सोसायटी
301, महावीर नगर II
महाराणी फार्म, दुर्गापुरा,
जयपुर 302 018

महोदय

स्वाधारिणी - स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम


कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र का संदर्भ लें. इस विषय में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम संबंधी आपका अनुदान प्रस्ताव निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है:-

1. आपकी संस्था द्वारा 200 नए स्वयं सहायता समूह प्रौन्नत करने, समूहों को बैंक खाता तथा ऋण से संबद्ध करने, 50% से अधिक समूह के सदस्यों का बैंक में उनका निजी खाता तथा उनको माइक्रो इश्योरेंस/पेंशन योजना से जोडना, समूहों का पोषण, लेखा-जोखा रखने से संबंधित कार्य तथा पुनश्चर्या (Refresher) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ₹ 1290000/- (Rupees Twelve lakh Ninety thousand only) की राशि स्वीकृत की गई है. उक्त अनुदान सहायता से संबंधित स्वीकृति की शर्तें अनुबंध-I (Annexure-I) में दी गई हैं।
2. कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रौन्नत स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या 10-20 हो।
3. इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा स्वीकृत शर्तों (सलग्न अनुबंध-I का क्रम सं. 4 देखें) के अनुपालन हेतु आप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एण्ड रिव्यू कमेटी (पीएमआरसी) एवं Grassroot level Monitoring and Review Committee (GLMRC) का गठन करें. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एण्ड रिव्यू कमेटी (पीएमआरसी) में राष्ट्रीय बैंक, टोक से हमारे अधिकारी तथा जिले के परियोजना क्षेत्र से बैंक अधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा संस्था द्वारा अपनाए गए रेटिंग नामर्स के आधार पर समूहों की गुणवत्ता और स्वीकृति के नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। (अनुदान राशि के आहरण की अनुशंसा करने से पूर्व पीएम आरसी अपने आपको इस बात से पूर्णतः आश्वस्त करेगी) कि संस्था द्वारा गठित सभी समूह रेटिंग नामर्स के अनुसार हैं. Monitoring

11. आपसे अनुरोध है कि मंजूरी पत्र (sanction letter) की शर्तों की स्वीकृति के साथ परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के दो वर्षों में गठन और लिंकेज (बचत एवं क्रेडिट लिंकेज) का महीने-वार प्रोजेक्शन भी हमें प्रस्तुत करें ताकि तीसरे वर्ष आप समूहों को हैण्ड-होल्डिंग प्रदान कर सकें.

12. किसी भी शिकायत के मामले में आप हमारे मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर (दूरभाष सं.0141-2740821 e.mail-jaipur@nabard.org) अथवा मुख्य सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्रधान कार्यालय, सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई - 400051 (दूरभाष सं 022-26539804 e.mail-cvc@nabard.org) को लिख सकते हैं.

भवदीया



(निधि शर्मा)

सहायक महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथांक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर - 302015

टेली.: +91 141 2741633 • फैक्स +91 141 2742161

ई-मेल: jaipur@nabard.org • वेबसाइट: www.nabard.org



National Bank for Agriculture and Rural Development

Rajasthan Regional Office

3, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015

Tel.: +91 141 2741633 • Fax : +91 141 2742161

E-mail : jaipur@nabard.org • Website : www.nabard.org

5 Bisle

सन्दर्भ सं.राबै.जय.एफएसडीडी(एफसी) / 6347 / कैट- एक्सपोज़र यात्रा/ 2015 - 16

दिनांक: 14 जनवरी 2016

सचिव

हैन्निमान चेरिटेबल मिशन ट्रस्ट

जे-890, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ III

सीतापुरा, टोंक रोड

जयपुर - 302022

महोदय/ महोदया

कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि - कृषि क्षेत्र एक्सपोज़र विजिट (कैट)

उपरोक्त विषय में कृपया आप अपने दिनांक 19.01.2015 के पत्र सं.361 का सन्दर्भ लें. इस सम्बन्ध में हम सूचित करते हैं कि आपका NRCS, Ajmer and CAZRI, Jodhpur स्थान/ नों की 04 एक्सपोज़र विजिट (कैट) का प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया गया है:

- कार्यक्रम के आयोजन में व्यय हेतु प्रति समूह रु.60000.00, कुल रु.240000.00 (प्रति समूह रुपये साठ हजार, कुल रुपये ~~दो लाख~~ ^{दो लाख} हजार मात्र) की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर संस्था स्वयं या प्रतिभागियों से प्रतिदान लेकर वहन करेगी:
- विजिट करने वाले हर समूह में 20 से अधिक किसान न हों जिसमें एक संस्था का प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकता है. कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों का चयन एवं विजिट का कार्यक्रम समनाधित जिले के जिला विकास प्रबन्धक (डीडीएम), नाबाई की सलाह से किया जाए और शामिल किसान का किसान क्लबों के सदस्य होना अनिवार्य है. पूर्व में इस तरह के कार्यक्रम में शामिल किये गए किसान इसके लिए पात्र नहीं माने जायेंगे.
- कार्यक्रम/ विजिट का आयोजन स्वीकृति की तिथि से 03 माह के भीतर करना होगा.
- कृपया नोट करें कि यह अनुदान सहायता किसानों की प्रोद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) अपनाने की क्षमता के निर्माण के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है और अपेक्षा है कि इसमें प्रतिभागिता करने वाले किसान इस कार्यक्रम के द्वारा देखी/ सीखी गई कृषि तकनीक/ उन्नत विधि/ प्रणाली को स्वयं अपनाएं और उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार कर अपनी आमदनी में वृद्धि करें, यह सुनिश्चित किया जाये. अतः कार्यक्रम के बाद में आप संलग्न प्रपत्र में सकारात्मक प्रभाव रिपोर्ट अवश्य प्रेषित करें. व्यय राशि के पुनर्भरण के लिए यह आवश्यक है.
- कार्यक्रम हेतु व्यय राशि का भुगतान पुनर्भरण आधार पर स्वीकृत राशि की सीमा में ही किया जाएगा. अनुदान राशि के पुनर्भरण हेतु अपना दावा व्यय के मदवार, सम्बन्धित बिलों/ रसीदों की मूल या सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित विवरण डीडीएम नाबाई के माध्यम से उनकी संस्तुति के साथ ही प्रेषित करें.

vi. हम आपको यह सूचित करते हैं कि स्वीकृति की शर्तों की स्वीकृति के रूप में आप इस पत्र की फोटो प्रतिलिपि के हर पेज पर संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर लगा कर हमें प्रेषित कर दें. इसके साथ ही आप निम्नलिखित सूचनाएं (अगर पूर्व में प्रेषित नहीं की गई है) भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें:

1. संस्था के परिचय स्वरूप पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि, गत 03 वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस शीट व वार्षिक रिपोर्ट की प्रति.
2. संस्था का वर्तमान "KYC" विवरण,
3. संस्था के बैंक खाते का विवरण; बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC. खाता संख्या
4. प्रतिभागियों की नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय सहित सूची
5. अनुलग्नक II में सूचित अंडरटेकिंग
6. PAN कार्ड की फोटो प्रतिलिपि

भवदीय

मनीज
(एम.के.महापात्रा)

सहायक महाप्रबन्धक

संलग्न: यथोक्त



रा.बै.राक्षेका.जय/एमसीआईडी/ 4/5/19 / एसएचजी- 538 / 2016-17 20 दिसम्बर 2016

The Secretary
Hahnemann Charitable Mission Society
J-890, RIICO Industrial Area, Phase-III,
Sitapura, Tonk Road, Jaipur- 302022

महोदय,

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम-अनुदान प्रस्ताव

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र का संदर्भ लें। इस विषय में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम संबंधी आपका अनुदान प्रस्ताव निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है:-

1. आपकी संस्था द्वारा टोंक जिले में टोडाराइसिंग ब्लॉक में 200 नए स्वयं सहायता समूह प्रौन्नत करने, समूहों को बैंक खाता तथा ऋण से संबद्ध करने, समूहों का पोषण, लेखा-जोखा रखने से संबंधित कार्य तथा पुनश्चर्या (Refresher) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रु 20,00,000/- (रु बीस लाख मात्र) की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त अनुदान सहायता से संबंधित स्वीकृति की शर्तें अनुबंध-I में दी गई हैं।
2. कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रोन्नत स्वयं सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या 10-20 हो।
3. इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने तथा स्वीकृत शर्तों (सलग्न अनुबंध-I का क्रम सं. 4 देखें) के अनुपालन हेतु आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तथा मॉनिटरिंग कमेटी (पीआईएमसी) का गठन करें जिसमें राष्ट्रीय बैंक टोंक जिले के डीडीएम, एलडीएम जिले के परियोजना क्षेत्र से बैंक अधिकारी तथा आपकी संस्था के प्रतिनिधी सदस्य होंगे।
4. यह कमेटी न्यूनतम त्रैमासिक आधार पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा संस्था द्वारा अपनाए गए रेटिंग नार्मस के आधार पर समूहों की गुणवत्ता और स्वीकृति के नियम व शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी (अनुदान राशि के आहरण की अनुशंसा करने से पूर्व पीआईएमसी अपने आपको इस बात से पूर्णत आश्वस्त करेगी) कि संस्था द्वारा गठित सभी समूह रेटिंग नार्मस के अनुसार हैं।
5. संस्था द्वारा प्रोजेक्ट में संतोषजनक प्रगति तिमाही आधार पर अर्जित की जाए तथा उसे आप त्रैमासिक आधार पर स्टेटमेंट-I में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रोजेक्ट को तीन वर्ष में पूरा किया जा सके और चौथे वर्ष में समूहों को हैण्ड-होल्डिंग सहायता प्रदान की जा सके। कृपया नोट करें कि प्रोजेक्ट में, तिमाही आधार पर, संतोषजनक प्रगति

नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रीय बैंक, जयपुर आपकी संस्था को संवितरित राशि वापस लेने हेतु बाध्य हो जाएगा ।

6. स्वीकृत अनुदान राशि का संवितरण अनुबंध -I की मद संख्या 5 में उल्लिखित कार्य-निष्पादन के मापदण्डों एवं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तथा मानिटिरिंग कमेटी की इस बारे में विशेष अनुशंसा (Format for PIMC-Statement II enclosed) के अनुसार किया जाएगा. अनुदान राशि का उपयोग अनुबंध -I में दर्शित बिन्दुओं के अनुसार किया जाए ।
7. जैसा कि आपको विदित है कि इंदिरा गांधी नैशनल ओपन विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण विषय पर छः महीने का एक पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है. गुणवत्ता वाले समूह तैयार करने में आधार स्तर पर प्रशिक्षक/कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रथम प्रयास में उपरोक्त पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर पाठ्यक्रम की फीस की राशि रु. 1000/- की प्रतिपूर्ति की जाती है. आपसे अनुरोध है कि आप आधार स्तर पर कार्य करने वाले कम से कम दो प्रशिक्षकों/कार्यकर्ताओं को उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित करें ।
8. आप इस संबंध में एक घोषणा-पत्र भी दें कि आप इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय बैंक में देने से पूर्व में आप द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों को इस परियोजना में शामिल नहीं करेंगे और न ही इस परियोजना में बनाए गए समूहों के लिए किसी अन्य संस्था से इसका दावा करेंगे ।
9. यह पत्र आपको दो प्रतियों में इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप डुप्लीकेट प्रति पर (प्रत्येक पत्रे पर) शर्तों की स्वीकृति देते हुए मोहर सहित हस्ताक्षर कर हमें शीघ्र प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने बोर्ड के संकल्प (Board Resolution) की प्रमाणित प्रति भी प्रेषित करें जैसा कि अनुबंध की मद संख्या 6 (1) में उल्लिखित है ।
10. आपसे अनुरोध है कि मंजूरी पत्र (sanction letter) की शर्तों की स्वीकृति के साथ परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के तीन वर्षों में गठन और लिंकेज (बचत एवं क्रेडिट लिंकेज) का महीने-वार प्रोजेक्शन भी हमें प्रस्तुत करें ताकि चौथे वर्ष आप समूहों को हैण्ड-होल्डिंग प्रदान कर सकें.
11. किसी भी शिकायत के मामले में आप हमारे मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 3, नेहरु प्लेस, टॉक रोड, जयपुर (दूरभाष सं.0141-2740821 e.mail-jaipur@nabard.org) अथवा मुख्य सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्रधान कार्यालय, सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई - 400051 (दूरभाष सं 022-26539804 e.mail-cvc@nabard.org) को लिख सकते हैं.

भवदीया



(स्मृति भगत)

सहायक महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त



कार्यालय नगर पालिका, निवाड़

क्रमांक :- न.पा.नि./DAY-NULM/2018-19/2892

दिनांक : 27/8/18

कार्य आदेश

मैसर्स हैनीमेन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी
सीतापुरा जयपुर (राज.)

विषय :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक अन्तर्गत समूह गठन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्य आदेश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 50 समूह गठन के लक्ष्य प्राप्त हुये है। मिशन के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक के तहत आपकी संस्था को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु नगर पालिका क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित (सूचीबद्ध) परिवारों एवं अन्य शहरी गरीबों के 50 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज, रिवाल्विंग फण्ड, बैंक ऋण दिलाने, उनके एरिया लेवल फेडरेशन व सिटी लेवल फेडरेशन के गठन, उनके प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन तथा कार्यालय के सम्पर्क स्थापित करने आदि अन्य कार्यों के सम्पूर्ण सम्पादन हेतु कार्यादेश निम्न दिशा निर्देशों के तहत दिये जाते हैं :-

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशिका के प्रावधानों एवं निष्पादित अनुबंध की अक्षरतः पालना की जानी आवश्यक होगी।
2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर निकाय स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
3. बीपीएल चयन सूची अन्तर्गत एक परिवार से केवल एक ही महिला/पुरुष को समूह का सदस्य बनाया जावे।
4. शहरी क्षेत्र के आवंटित वार्डों में संस्था द्वारा अपना कार्यालय खोला जाकर उस पर प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। बोर्ड पर संस्था प्रमुख एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम व दूरभाष नम्बर अंकित किये जावेंगे। कार्यकर्ताओं को बार-बार बदले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग-निर्देशिका एवं निष्पादित अनुबंध के अनुसार संस्था को प्रति स्वयं सहायता समूह 10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि नियमानुसार किश्तों में देय होगी।
6. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य (महिला/पुरुष) होंगे। महिला/पुरुष का मिक्स समूह बनाया जा सकता है, परन्तु इस बात को सुनिश्चित

किया जावे की पुरुष सदस्यों के कारण महिला सदस्यों को सहभागिता पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।

7. क्लेम भुगतान हेतु संस्था द्वारा अपना क्लेम दो प्रतियों में नगर पालिका निवाड़ में प्रस्तुत करना होगा। जिसे लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं उनके द्वारा अभिशंषा की जानी आवश्यक होगी।
8. संस्था द्वारा प्रतिमाह की दो तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नगर पालिका निवाड़ में प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।
9. संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी सूचना के निष्पादित अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

नोट :- कार्यादेश तिथि से पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 के तहत अब तक गठित किये गये स्वयं सहायता समूह भी समायोजित किये जायेंगे।

27/8/18
(CPO(DAY-NULM))
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका निवाड़

क्रमांक :- न.पा.नि./DAY-NULM/2018-19/2893/2903

दिनांक : 27/8/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ।

1. श्रीमान निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्लान) स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान परियोजना निदेशक, (DAY-NULM) स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान अजमेर।
5. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।
6. श्रीमान आयुक्त महोदय (DPO DAY-NULM) नगर परिषद टोक।
7. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका निवाड़।
8. श्रीमान पार्षद महोदय वार्ड नं नगर पालिका निवाड़
9. श्री लेखाधिकारी नगर पालिका निवाड़।
10. सुरक्षित पत्रावली।

27/8/18
CPO(DAY-NULM)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका निवाड़

कार्यालय नगर परिषद टोंक

कमंक एमसीटी/डे-एनयूएलएम/2016-17/14, 1499-15, 506

कार्य-आदेश

दिनांक 14/12/17

मेसर्स हैंगीमेन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी
सीतापुरा जयपुर (राज0)

विषय - दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक अन्तर्गत समूह गठन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्य आदेश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक के अन्तर्गत आपकी संस्था को प्रारम्भिक दौर में नगर परिषद क्षेत्र के वीपीएल सर्वे 2003 में चयनित (सूचीबद्ध) परिवारों एवं अन्य शहरी गरीबों के 50 स्वयं सहायता समूहों (SHGS) का गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज, रिवाल्विंग फण्ड, बैंक ऋण दिलाने, उनके एरिया लेवल फेडरेशन व सिटी लेवल फेडरेशन के गठन, उनके प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन तथा कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करने आदि अन्य कार्यों के सम्पूर्ण सम्पादन हेतु चयन की अभिशाप के आधार पर आपका चयन पूर्णता अर्थाई आधार पर किया जाकर कार्य आदेश निम्न निर्देशों के तहत दिये जाते हैं :-


1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशिका के प्रावधानों एवं निष्पादित अनुबन्ध की अक्षरत पालना की जानी आवश्यक होगी।
2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर निकाय स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
3. वीपीएल चयन सूची अन्तर्गत एक परिवार से केवल एक ही महिला/पुरुष को समूह का सदस्य बनाया जाये।
4. शहरी क्षेत्र के आवंटित वार्डों में संस्था द्वारा अपना कार्यालय खोला जाकर उस पर प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। बोर्ड पर संस्था प्रमुख एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम व दूरभाष नम्बर अंकित किये जावेंगे। कार्यकर्ताओं को दर दर बदले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग-निर्देशिका एवं निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार संस्था के प्रति स्वयं सहायता समूह 10,000/- रु (अक्षरे दस हजार 00) की राशि नियमानुसार किश्तों में देय होगी।
6. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के जारी मार्ग-निर्देशिका के अनुसार स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य (महिला/पुरुष) होंगे। महिला/पुरुष का मिलावट समूह बनाया जा सकता है, परन्तु इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि पुरुष सदस्यों के कारण महिला सदस्यों की सहभागिता पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।

टी

- 7 क्लेम भुगतान हेतु सरस्था द्वारा अपना क्लेम दो प्रतियों में नगर परिषद टोक में प्रस्तुत करना होगा। जिसे लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं उनके द्वारा अभिशाप की जानी आवश्यक होगी।
- 8 सरस्था द्वारा प्रतिमाह की दो तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नगर परिषद टोक में प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।
- 9 सरस्था का कार्य सतापजनक नहीं होने पर बिना किसी सूचना के निष्काशित अनुबन्ध का निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


अतः आप 03 दिवस में कार्य प्रारम्भ कर अपनी लिखित सहमति से कार्यालय का अवगत कराये तथा यह आदेश आज दिनांक 14.02.2017 से तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगा।

संलग्न :- अनुबन्ध की छायाप्रति।


 आयुक्त / DPO
 DAY-NULM
 नगर परिषद टोक
 दिनांक : 14-02-2017

क्रमांक - एमसीटी / 2016-17 / 15459-15506
 पत्रिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महोदय(प्लान) स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. श्रीमान् परियोजना निदेशक महोदय (DAY NULM) स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर.
4. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग अजमेर
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय टोक
6. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर परिषद टोक
7. लेखाशाखा नगर परिषद टोक
8. सुरक्षित फाइलें।


 आयुक्त / DPO
 DAY-NULM
 नगर परिषद टोक

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

क्रमांक :- ननिको / NULM / 2015-16 / 5767

दिनांक :- 24/11/2015

—:: कार्यादेश ::—

Hahnemann Charitable Mission Society
J-890 Phase III, Sitapura Ind. Area,
Tonk Road, Jaipur 302022 (Raj.)

विषय :- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं विकास हेतु ROs की नियुक्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत आपकी संस्था का चयन RO के रूप में बीपीएल परिवारों के स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक लिंकेज, क्षमता विकास प्रशिक्षण एवं आय वर्द्धक गतिविधियों के संचालन हेतु चयनित किया गया है।

आपकी संस्था को वर्ष 2015-16 में नगर निगम कोटा क्षेत्र के 65 वार्डों में 100 समूहों जहां भी बीपीएल परिवार अधिकतम हो लक्ष्य अनुरूप ज्यादा से ज्यादा समूहों का गठन कर उनके बैंक लिंकेज, क्षमता विकास प्रशिक्षण एवं आय वर्द्धक करने का लक्ष्य आवंटित किया जाता है। लक्ष्य घटाया अथवा बढ़ाया भी जा सकता है।

अतः उपरोक्त कार्य हेतु 15 दिवस के अन्दर-अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करके कार्य प्रारम्भ करें। कार्यादेश की 5 प्रतिशत राशि परफोरमेन्स सिक्योरिटी के रूप में (जिसमें बिजु सिक्योरिटी की राशि का समायोजन कर शेष राशि) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की लिखित सहमती के साथ ही जमा करावें। कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा।




उपायुक्त
नगर निगम कोटा

क्रमांक :- ननिको / NULM / 2015-16 / 5767-5775
प्रतिलिपि-

दिनांक :- 24-11-2015

1. माननीय महापौर महोदय: नगर निगम कोटा
2. जिला कलेक्टर महोदय कोटा।
3. परियोजना निदेशक महोदय, एनयूएलएम स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर।
4. आयुक्त महो0 नगर निगम कोटा।
5. उपनिदेशक महो. क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग कोटा
6. उपायुक्त मुख्यालय / विज्ञाननगर नगर निगम कोटा।
7. अध्यक्ष महोदय एनयूएलएम नगर निगम कोटा।
8. कार्यालय अधीक्षक नगर निगम कोटा
9. कार्यालय पत्रावली


उपायुक्त
नगर निगम कोटा

कार्यालय नगरपालिका मालपुरा जिला टोंक (राज.)

क्रमांक :- न.पा.मा./NULM/17-18/1989

दिनांक :- 21/07/2017

मैसर्स हैनीमेन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी
सीतापुरा जयपुर (राज.)

विषय :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक अन्तर्गत समूह गठन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्य आदेश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक के अन्तर्गत आपकी संस्था को प्रारम्भिक दौर में नगर पालिका क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित (सूचीबद्ध) परिवारों एवं अन्य शहरी गरीबों के 50 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज, रिवाल्विंग फण्ड, बैंक ऋण दिलाने, उनके एरिया लेवल फेडरेशन व सिटी लेवल फेडरेशन के गठन, उनके प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन तथा कार्यालय के सन्तर्क स्थापित करने अदि अन्य कार्यों के सम्पूर्ण सम्पादन हेतु गांठित चयन समिति द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर आपका चयन पूर्णता: अस्थाई आधार पर किया जाकर कार्य आदेश निम्न दिशा निर्देशों के तहत दिये जाते हैं :-

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशिका के प्रावधानों एवं निष्पादित अनुबंध की अक्षरत: पालना की जानी आवश्यक होगी।
2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर निकाय स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
3. बीपीएल चयन सूची अन्तर्गत एक परिवार से केवल एक ही महिला/पुरुष को समूह का सदस्य बनाया जावे।
4. शहरी क्षेत्र के आवंटित वार्डों में संस्था द्वारा अपना कार्यालय खोला जाकर उस पर प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। बोर्ड पर संस्था प्रमुख एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम व दूरभाष नम्बर अंकित किये जावेंगे। कार्यकर्ताओं को बार-बार बदले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग-निर्देशिका एवं निष्पादित अनुबंध के अनुसार संस्था को प्रति स्वयं सहायता समूह 10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि नियमानुसार किश्तों में देय होगी।

6. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य (महिला/पुरुष) होंगे। महिला/पुरुष का मिक्स समूह बनाया जा सकता है, परन्तु इस बात को सुनिश्चित किया जावे की पुरुष सदस्यों के कारण महिला सदस्यों को सहभागिता पर विपरीत प्रभाव ना पड़ें।
7. क्लेम भुगतान हेतु संस्था द्वारा अपना क्लेम दो प्रतियों में नगर परिषद में प्रस्तुत करना होगा। जिसे सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं उनके द्वारा अभिशंषा की जानी आवश्यक होगी।
8. संस्था द्वारा प्रतिमाह की दो तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नगर परिषद टोंक/नगरपालिका मालपुरा में प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।
9. संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी सूचना के निष्पादित अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
अतः आप 10 दिवस में कार्य प्रारम्भ कर अपनी लिखित सहमति से कार्यालय को अवगत करावें।

अधिशर्षी अधिकारी

नगरपालिका मालपुरा

दिनांक. 26/07/2017

क्रमांक :- न.पा.मा./NULM/17-18/1989

1. श्रीमान निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, टोंक
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्लान) स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान अति० जिला कलेक्टर महोदय, टोंक
5. श्रीमान परियोजना निदेशक, (DAY-NULM) स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान अजमेर।
7. श्रीमान अति० मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक
8. श्रीमान कोषाधिकारी, टोंक
9. अधिशर्षी अभियंता, नगर परिषद टोंक
10. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी नगर परिषद टोंक
11. सुरक्षित पत्रावली।

अधिशर्षी अधिकारी

नगरपालिका मालपुरा



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
RAJASTHAN REGIONAL OFFICE

visit us at: www.nabard.org

3, नेहरु प्लेस, टोंक रोड,
पोस्ट बैग नं. 104, जयपुर-302015
फोन नं. (0141) 2743215, 2741633,
2743290
फैक्स नं. (0141) 2742161

3, Nehru Place, Tonk
Road, Post Bag No.104,
Jaipur- 302015,
Phone Nos. (0141)
2743215, 2741633,
2743290
Fax (0141) 2742161

e-mail: jaipur@nabard.org

संदर्भ संख्या : राबैं/राक्षेका-जय/
08.09.2014

2864

/एमसीआईडी / MEDP-जयपुर /2014-15

सचीव
हहनेमन्न चैरिटेबल मिशन सोसाइटी
जी-890, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 3,
जयपुर, राजस्थान

महोदय,

सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम - आरातरी, सोप & डिटर्जेंट, आचार जैम & जेली, पापड़, चिप्स & मंगोरी मेकिंग & CFL हेतु प्रशिक्षण

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27.03.2014 के अपने पत्र संख्या HCMS/2014/312/JPR-Bassi/NABARD-150 का संदर्भ लें जिसके द्वारा सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के अंतर्गत अनुदान सहायता हेतु अनुरोध किया गया है। इस संदर्भ में हम सहर्ष सूचित करते हैं कि आपकी संस्था को आरातरी, सोप & डिटर्जेंट, आचार जैम & जेली, पापड़, चिप्स & मंगोरी मेकिंग & CFL में 05 सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित करना, के लिए रु 39,000/- की दर से रु 1,95,000/- (एक लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

2. उक्त अनुदान सहायता के तहत किए जाने वाले व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

✓ आरातरी प्रशिक्षण कार्यक्रम

(राशि में)

क्र. सं.	विवरण	नाबाई द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए अनुमोदित बजट (प्रति कार्यक्रम)	टिप्पणी (Remarks)
1	एनजीओ को प्रोफेशनल फीस	17000	Hon. to Master Tainer & Asstt.
2	प्रतिभागियों का भोजन प्रभार	6000	Boarding charges and venue rent
3	तकनीकी कौशल के आयोजन /प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण/रिसोर्स सामग्री	15000	Raw material
4	विविध/आकस्मिक व्यय	1000	Misc. & admn. exp.
	कुल	39000	



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
RAJASTHAN REGIONAL OFFICE

visit us at: www.nabard.org

3, नेहरु प्लेस, टॉक रोड,
पोस्ट बैग नं. 104, जयपुर-302015
फोन नं. (0141) 2743215, 2741633,
2743290
फैक्स नं. (0141) 2742161

3, Nehru Place, Tonk
Road, Post Bag No.104,
Jaipur- 302015,
Phone Nos. (0141)
2743215, 2741633,
2743290
Fax (0141) 2742161

e-mail: jalpur@nabard.org

सोप & डिटर्जेंट, प्रशिक्षण कार्यक्रम

(राशि में)

क्र.सं.	विवरण	नाबार्ड द्वारा उक्त कार्य क्रम के लिए अनुमोदित बजट (प्रति कार्यक्रम)	टिप्पणी (Remarks)
1	एनजीओ को प्रोफेशनल फीस	17000	Hon. to Master Tainer & Asstt.
2	प्रतिभागियों का भोजन प्रभार	6000	Boarding charges and venue rent
3	तकनीकी कौशल के आयोजन /प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण/रिसोर्स सामग्री	13500	Raw material
4	विविध/आकस्मिक व्यय	2500	Misc. & admn. exp.
	कुल	39000	

आचार जैम & जेली, प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	नाबार्ड द्वारा उक्त कार्य क्रम के लिए अनुमोदित बजट (प्रति कार्यक्रम)	टिप्पणी (Remarks)
1	एनजीओ को प्रोफेशनल फीस	17000	Hon. to Master Tainer & Asstt.
2	प्रतिभागियों का भोजन प्रभार	6000	Boarding charges and venue rent
3	तकनीकी कौशल के आयोजन /प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण/रिसोर्स सामग्री	12000	Raw material
4	विविध/आकस्मिक व्यय	4000	Misc. & admn. exp.
	कुल	39000	

3200/-



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
RAJASTHAN REGIONAL OFFICE

visit us at: www.nabard.org

3, नेहरु प्लेस, टोंक रोड,
पोस्ट बैग नं. 104, जयपुर-302015
फोन नं. (0141) 2743215, 2741633,
2743290
फैक्स नं. (0141) 2742161

3, Nehru Place, Tonk
Road, Post Bag No. 104,
Jaipur- 302015,
Phone Nos. (0141)
2743215, 2741633,
2743290
Fax (0141) 2742161

e-mail: jaipur@nabard.org

पापड़, चिप्स & मंगोरी मेकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम ✓

क्र.सं.	विवरण	नाबाई द्वारा उक्त कार्य क्रम के लिए अनुमोदित बजट (प्रति कार्यक्रम)	टिप्पणी (Remarks)
1	एनजीओ को प्रोफेशनल फीस	17000	Hon. to Master Tainer & Asslt.
2	प्रतिभागियों का भोजन प्रभार	6000	Boarding charges and venue rent
3	तकनीकी कौशल के आयोजन /प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण/रिसोर्स सामग्री	13500	Raw material
4	विविध/आकस्मिक व्यय	2500	Misc. & admn. exp.
	कुल	39000	

CFL प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	नाबाई द्वारा उक्त कार्य क्रम के लिए अनुमोदित बजट (प्रति कार्यक्रम)	टिप्पणी (Remarks)
1	एनजीओ को प्रोफेशनल फीस	17000	Hon. to Master Tainer & Asslt.
2	प्रतिभागियों का भोजन प्रभार	6000	Boarding charges and venue rent
3	तकनीकी कौशल के आयोजन /प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण/रिसोर्स सामग्री	15000	Raw material
4	विविध/आकस्मिक व्यय	1000	Misc. & admn. exp.
	कुल	39000	

3 जैसा कि आपको विदित है कि एमईडीपी का उद्देश्य परिपक्व स्वयं सहायता समूहों को दीर्घकालिक आधार पर जीविका उपलब्ध कराने/उनके सूक्ष्म उद्यम स्थापित करवाने हेतु वांछित कौशल के उन्नयन/विकास हेतु अल्पावधि के स्थान-विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करना होता है। यह समूह सदस्यों के मूल व्यवसाय कौशल को बढ़ाने का प्रयास होता है ताकि वे आय अर्जन/जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई व्यवसाय सफलतापूर्वक लगाकर उसे चला सकें।

4 कृपया नोट करें :-

स्वीकृति पत्र की तारीख या अनुदान सहायता की पहली किस्त संवितरित होने से 2 महीने के भीतर एमईडीपी पूरा कर लिया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि संस्था इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इच्छुक नहीं है और संस्था इस राशि को वापिस लौटाने के लिए बाध्य होगी।

NOTE

"राष्ट्रीय बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT**

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
RAJASTHAN REGIONAL OFFICE

visit us at: www.nabard.org


3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड,
पोस्ट बैग नं. 104, जयपुर-302015
फोन नं. (0141) 2743215, 2741633,
2743290
फैक्स नं. (0141) 2742161

3, Nehru Place, Tonk
Road, Post Bag No. 104,
Jaipur- 302015,
Phone Nos. (0141)
2743215, 2741633,
2743290
Fax (0141) 2742161

e-mail: jalpur@nabard.org

- ÿ आप जिला विकास प्रबंधक, नाबाई, जयपुर, के साथ मिलकर एमईडीपी आयोजित करें
- ÿ सुनिश्चित किया जाए कि चयनित स्वयं सहायता समूह परिपक्व हैं अर्थात् वे बैंक से एक या दो वार ऋण ले चुके हों और सम्वद्ध गतिविधि / व्यवसाय की मूलभूत जानकारी रखते हो ।
- ÿ प्रत्येक एमईडीपी कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या 30 तक रखी जाए ।
- ÿ प्रशिक्षण हेतु चुने गए प्रशिक्षक तकनीकी तथा व्यावसायिक रूप से योग्य हों ।
- ÿ पूंजीगत मदों की खरीद इस योजना के तहत सहायता हेतु पात्र नहीं होगी .
- ÿ चुने गए समूह एसजीएसवाई या एसजेएसआरवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त न हों ।
- ÿ आप समूह सदस्यों की सुविधा के अनुसार प्रशिक्षण स्थल का चयन करें जो वरीयतः चौपाल, सामुदायिक केन्द्र, पंचायत घर आदि हो सकता है ।
5. कार्यक्रम शुरु होने की तारीख नाबाई, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय को कम से कम 15 दिन पहले अवगत कराये.
6. आपसे अनुरोध है कि अंतिम दावा जिला विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें एवं प्रशिक्षण से संबंधित सारे दस्तावेज अपने पास 3 साल तक संभाल कर रखे ताकि भविष्य मे नाबाई द्वारा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जा सके.
7. इसके अलावा, इस पत्र में उपरोक्त दी गई शर्तों का पालन किया जाना है । दी गई शर्तों को आपके द्वारा स्वीकार किए जाने पर मंजूर राशि का भुगतान प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर, वास्तविक आधार पर आपको किया जायेगा । यदि उपरोक्त दी गई शर्तें आपको मंजूर हों तो सभी पृष्ठों पर मुहर एवं अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर करवाकर इस पत्र की डुप्लीकेट प्रति हमें भिजवाने की व्यवस्था करें ।

भवदीया

(सुनंदा 
सहायक महाप्रबन्धक
संलग्न : यथोक्त

कार्यालय नगरपालिका टोडारायसिंह (टोंक) राज.

क्रमांक : नपाटो/2016-17/4544

दिनांक : 19/1/2017

कार्य-आदेश

मैसर्स हैनीमेन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी
सीतापुरा जयपुर (राज0)

विषय :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक अन्तर्गत समुहगठन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्य आदेश।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक के अन्तर्गत आपकी संस्था को प्रारम्भिक दौर में नगर पालिका क्षेत्र के वीपीएल सर्वे 2003 में चयनित (सूचीबद्ध) परिवारों एवं अन्य शहरी गरीब के 50 स्वयं सहायता समूहों (SHGS) का गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज, रिवाल्विंग फण्ड, बैंक ऋण दिलाने, उनके एरिया लेवल फेडरेशन व सिटी लेवल फेडरेशन के गठन, उनके प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन तथा कार्यालय के सम्पर्क स्थापित करने आदि अन्य कार्यों के सम्पूर्ण सम्पादन हेतु गठित चयन समिति द्वारा की गई अभिशंका के आधार पर आपका चयन पूर्णता अस्थाई आधार पर किया जाकर कार्य आदेश निम्न निर्देशों के तहत दिये जाते हैं :-

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशिका के प्रावधानों एवं निष्पादित अनुबंध की अक्षरतः पालना की जानी आवश्यक होगी।
2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार/नगरनिकाय स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
3. वीपीएल चयन सूची अन्तर्गत एक परिवार से केवल एक ही महिला/पुरुष को समूह का सदस्य बनाया जावे।
4. शहरी क्षेत्र के आवंटित वार्डों में संस्था द्वारा अपना कार्यालय खोला जाकर उस पर प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। बोर्ड पर संस्था प्रमुख एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम व दूरभाष नम्बर अंकित किये जावेंगे। कार्यकर्ताओं को बार बार बदले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग- निर्देशिका एवं निष्पादित अनुबंध के अनुसार संस्था के प्रति स्वयं सहायता समूह 10,000/रु (अक्षरे दस हजार रु0) की राशि नियमानुसार किश्तों में देय होगी।
6. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY NULM) के जारी मार्ग-निर्देशिका के अनुसार स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य (महिला/पुरुष) होंगे। महिला/पुरुष का मिक्स समूह बनाया जा सकता है, परन्तु इस बात को सुनिश्चित किया जावे कि पुरुष सदस्यों के कारण महिला सदस्यों को सहभागिता पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।

7. क्लेम भुगतान हेतु संस्था द्वारा अपना क्लेम दो प्रतियों में नगरपालिका टोडारायसिंह में प्रस्तुत करना होगा। जिसे लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं उनके द्वारा अभिशंभा की जानी आवश्यक होगी।
8. संस्था द्वारा प्रतिमाह की दो तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नगरपालिका टोडारायसिंह में प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।
9. संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी सूचना के निष्पादित अनुबंध को निरस्त करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अतः आप 10 दिवस में कार्य प्रारम्भ कर अपनी लिखित सहमति से कार्यालय को अवगत करावे।

संलग्न :- अनुबन्ध की छायाप्रति।



 अधिशासी अधिकारी
 नगरपालिका टोडारायसिंह

क्रमांक : नपाटो/2016-17/ 4545-4554

दिनांक : 19-1-2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक महोदय(प्लान) स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. श्रीमान् परियोजना निदेशक महोदय (DAY NULM) स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
4. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग अजमेर
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय टोंक
6. श्रीमान् आयुक्त महोदय, (DPO DAY NULM) नगरपरिषद टोंक
7. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगरपालिका टोडारायसिंह
8. श्रीमान्पार्षद वार्ड न.नगरपालिका टोडारायसिंह
9. लेखाशाखा नगरपालिका टोडारायसिंह
10. सुरक्षित पत्रावली।


 अधिशासी अधिकारी
 नगरपालिका टोडारायसिंह



कार्यालय नगरपालिका देवली (टोंक) राज.

क्रमांक :: न.पा.दे./DAY-NULM/2017-18/ 6604

दिनांक :: 9-10-17

प्रेषिति मैसर्स हैनीमेन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी
सीतापुरा जयपुर (राज.)

विषय :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक अन्तर्गत समूह
गठन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्य आदेश।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के सामाजिक संगठन और संस्थान विकास (SM&ID) घटक के अन्तर्गत आपकी संस्था को प्रारम्भिक दौर में नगर पालिका क्षेत्र के बीपीएल सर्वे 2003 में चयनित (सूचीबद्ध) परिवारों एवं अन्य शहरी गरीबों के 50 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज, रिवाल्विंग फण्ड, बैंक ऋण दिलाने, उनके एरिया लेवल फेडरेशन व सिटी लेवल फेडरेशन के गठन, उनके प्रशिक्षण व क्षमता वर्धन तथा कार्यालय के सम्पर्क स्थापित करने आदि अन्य कार्यों के सम्पूर्ण सम्पादन हेतु आपका चयन पूर्णता: अस्थाई आधार पर किया जाकर कार्य आदेश निम्न दिशा निर्देशों के तहत दिये जाते हैं :-

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग निर्देशिका के प्रावधानों एवं निष्पादित अनुबंध की अक्षरतः पालना की जानी आवश्यक होगी।
2. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार/नगर निकाय स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
3. बीपीएल चयन सूची अन्तर्गत एक परिवार से केवल एक ही महिला/पुरुष को समूह का सदस्य बनाया जावे।
4. शहरी क्षेत्र के आवंटित वार्डों में संस्था द्वारा अपना कार्यालय खोला जाकर उस पर प्रदर्शन बोर्ड लगाना आवश्यक होगा। बोर्ड पर संस्था प्रमुख एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम व दूरभाष नम्बर अंकित किये जावेंगे। कार्यकर्ताओं को बार-बार बदले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अन्तर्गत जारी मार्ग-निर्देशिका एवं निष्पादित अनुबंध के अनुसार संस्था को प्रति स्वयं सहायता समूह 10,000/- (दस हजार रुपये) की राशि नियमानुसार किश्तों में देय होगी।
6. दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य (महिला/पुरुष) होंगे। महिला/पुरुष का मिक्स समूह

बनाया जा सकता है, परन्तु इस बात को सुनिश्चित किया जावे की पुरुष सदस्यों के कारण महिला सदस्यों को सहभागिता पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।

7. क्लेम भुगतान हेतु संस्था द्वारा अपना क्लेम दो प्रतियों में नगर पालिका देवली में प्रस्तुत करना होगा। जिसे लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं उनके द्वारा अभिशंषा की जानी आवश्यक होगी।
8. संस्था द्वारा प्रतिमाह की दो तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नगर पालिका में प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी।
9. संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी सूचना के निष्पादित अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अतः आप 3 दिवस में कार्य प्रारम्भ कर अपनी लिखित सहमति से कार्यालय को अवगत करावें।


09-10-17

(भगवत सिंह परमार)
अधिसाषी अधिकारी
एवं शहरी परियोजना अधिकारी
DAY-NULM नग्नर पालिका देवली
दिनांक :

क्रमांक :- न.पा.नि./DAY-NULM/2017-18/
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ।

1. श्रीमान निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्लान) स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान अति० जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।
5. श्रीमान परियोजना निदेशक, (DAY-NULM) स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान अजमेर।
7. श्रीमती अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका देवली।
8. श्रीमान अति० मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
9. श्रीमान कोषाधिकारी, टोंक।
10. श्रीमान प्रबन्धक (DAY-NULM) नगर परिषद टोंक।
11. सुरक्षित पत्रावली।

॥
(भगवत सिंह परमार)
अधिसाषी अधिकारी
एवं शहरी परियोजना अधिकारी
DAY-NULM नगर पालिका देवली



JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION

(Pt. Deen Dayal Upadhyay Bhawan, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur)

S.No. :- F 31 () ऑ. (नं. / जननि / 09 / 08

DATE: 23/10/09

Work-Order

M/s Hahemann Charitable Mission Society
301 Mahaveer Nagar-II
Maharani Farm, Durgapura
Jaipur


Subject :- Work order for Project Implementing Agency (PIA) to prepare Detail Project Report (DPR) and Implementation for the Scheme of "Up-gradation of the Quality of Street Food" in Jaipur city

Ref :- Your technical & financial bids submitted to this office on the subject.

The approval of the competent authority has been obtained for hiring of the Project Implementing Agency (PIA) to prepare Detail Project Report (DPR) and Implementation of the Scheme as per Guideline set by Ministry of Food Processing Industries (MFPI) and defined in bid document for the Scheme of "Up-gradation of the Quality of Street Food" in Jaipur city.

The payment for the services shall be governed as per the guidelines of the ministry of Food Processing Industries and as per the clause no 13 of the tender document. The total cost of the consultancy services shall not exceed Rs. 12, 14 125/- (Rs Twelve Lakh fourteen thousand and one hundred twenty five rupees only).


The work shall be carried as the time frame defined in the tender document submitted by your firm.


Commissioner (Health)
Jaipur Municipal Corporation.

Copy to:-

1. PA to Hon'ble Mayor/Deputy-Mayor, Jaipur Municipal Corporation.
2. PA to Chief Executive Officer, Jaipur Municipal Corporation
3. Commissioner (Hq./Revenue), Jaipur Municipal Corporation
4. Chief Accounts Officer, Jaipur Municipal Corporation
5. Chief Health Officer, Jaipur Municipal Corporation
6. File Copy

Commissioner (Health)
Jaipur Municipal Corporation


Secretary
Hahemann Charitable Mission Society
JAIPUR (Raj.)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
3, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर - 302015
टेली : +91 141 2741633 • फैक्स +91 141 2742161
ई-मेल : jaipur@nabard.org • वेबसाइट : www.nabard.org



National Bank for Agriculture and Rural Development
Rajasthan Regional Office
3, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015
Tel.: +91 141 2741633 • Fax : +91 141 2742161
E-mail : jaipur@nabard.org • Website : www.nabard.org

NB.RRO/JAI/ 5230 /FPO-HCMS/2015-16

Date: 07th Dec 2015

The Secretary
Hannan Charitable Mission Society
J-890, Phase III, RIICO Industrial Area
Sitapura, Tonk Road, Jaipur

Dear Sir,

PRODUCE Fund- Promotion of Farmer Producer Organizations (FPOs)

Please refer to your letter No. F.101 HCMS/NABARD/PC/15-16-3/5 dated 19th July 2015 forwarding therewith proposal seeking financial assistance for formation and nurturing of Twelve Farmer Producer Organization (FPO) in One district. We are pleased to sanction a total financial assistance of Rs. 18.12 Lakh (Rupees Eighteen Lakh Twelve Thousand only) for formation & nurturing of Two FPO as per details given below:-

Sr. No.	Name of District	Area/ Block	Major Activity cluster	No. of FPOs to be formed and promoted/promoted
1	Jaipur	Bassi	Milk procurement, production and Marketing	One
2	Jaipur	Malpura	Milk procurement, production and Marketing	One

2. As part of the support, you are required to develop sustainable organization structure, formulate business plan for next 3 years, facilitate registration of FPOs, provide training and capacity building support to different functionaries and nurture the FPOs by providing necessary handholding support towards maturity for a minimum period of 03 years from the date of commencement of the FPO formation work i.e date of execution of MOA (shall be executed within 30 days of receipt of sanction letter)

3. The item-wise and year-wise grant assistance sanctioned for each of the FPO have been furnished in Annexure-I & Annexure II and have to be utilized over a period of three years. The release of installments of grant assistance against the sanction will

however be made subject to satisfactory compliance of the project requirements and will be linked to performance indicators/deliverables in various stages as indicated in Annexure III.

4. POPIs will be required to arrange training cum exposure visits of lead farmers and training of Board of Directors, CEO of FPOs on a group mode depending upon the actual requirement. Release of grant assistance will be based on actual expenditure on training subject to a maximum of the grant assistance sanctioned for each of the training components.

5. You are requested to convey your consent to undertake the work as per the sanction details and the terms and conditions of sanction mentioned in this letter by returning the duplicate copy of the sanction letter duly signed and stamped on each page of Sanction letter by the CEO/Competent authority of your Organisation.

6. This sanction will be effective on execution of Memorandum of Agreement between your organization and NABARD as per prescribed proforma.

7. To qualify for release of the first installment of grant assistance, you are requested to submit a Concept note containing, inter-alia, the details of training interventions, location for training/ exposure visit, expected number of farmers, etc.


8. Data of minimum 50 farmers per FPO may be submitted along with request of 1st instalment, as per Annexure VIII. They may also be involved in formation of Business plan and up scaling of the project

9. The release of first installment of assistance will be subject to accepting the terms and conditions stipulated in the sanction letter, execution of MOA and fulfilling the criteria specified at point no. 7 & 8.

10. NABARD reserves the right to terminate the sanction and seek compensation, if the work at any stage is not found satisfactory.

Kindly acknowledge the receipt of this letter.

Yours faithfully



(J P S Bindra)

General Manager

Enclosure: as above

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

3, नेहरु प्लेस, टोंक रोड, जयपुर - 302015

टेली. : +91 141 2741633 • फैक्स +91 141 2742161

ई-मेल : jaipur@nabard.org • वेबसाइट: www.nabard.org.



National Bank for Agriculture and Rural Development

Rajasthan Regional Office

3, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015

Tel.: +91 141 2741633 • Fax : +91 141 2742161

E-mail : jaipur@nabard.org • Website : www.nabard.org

पत्र संख्या राक्षेका.जय/8235/विड/2015-16
दिनांक- 11 मार्च 2016

The Secretary
Hahnemann Charitable Mission Society
J-890, Phase III, RIICO Industrial Area
Sitapura, Tonk Road, Jaipur

महोदय,

एफ पी ओ स्वीकृत पत्र में बदलाव हेतु

कृपया अपने पत्र दिनांक 09/07/2016 का सन्दर्भ ले जिसमें आपने नाबाई द्वारा जारी किये स्वीकृति पत्र क्रमांक NB.RRO/JAI/5230/FPO-HCMS/2015-16 दिनांक 07 दिसम्बर 2015 में बदलाव हेतु निवेदन किया था.

इस सम्बन्ध में आपके एफ पी ओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव के निवेदन को स्वीकार किया जाता है और आपको संशोधित स्वीकृति निम्न एफ पी ओ गठन हेतु प्रदान की जाती है

1. Dairy FPO, Bassi Block, Jaipur
2. Organic Farming FPO, Bassi Block, Jaipur district

कृपया इस पत्र को स्वीकार कर (छायाप्रति हस्ताक्षरित एवं ऑफिस स्टाम्प लगाकर) प्रेषित करें.

अरविन्द मुकर्जी

सहायक महाप्रबंधक